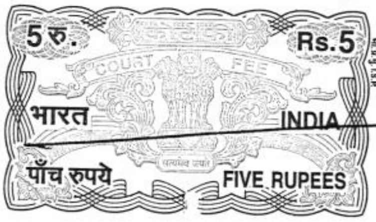

पु.या.क/ /2014
प्र.दि. 22/07/2014

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर

इन्ही के समक्ष

R-2565-PBR/14

सागरसिंह पिता चन्दरसिंह, जाति राजपुत, उम्र 45 वर्ष
धंधा : खेती, निवासी ग्राम चिचली तह. कसरावद
जिला खरगोन (म.प्र.) . . . **पुनरिक्षणकर्ता**

विरूद्ध

1. नयनसिंह पिता दगडू जाति नावड़ा, उम्र 53 वर्ष
   धंधा : खेती, निवासी : ग्राम कठोरा तह कसरावद
2. रतन पिता घुसाई जाति राजपुत, उम्र 70 वर्ष
   धंधा : खेती, निवासी : ग्राम चिचली तह कसरावद . . . . **रेस्पाडेण्ट**

पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.स. 1959 के तहत माननीय तहसीलदार महोदय तहसील कसरावद जिला खरगोन के यहा लंबित रा.प्र.क. 05अ-13/12-13 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.12.2013 के विरूद्ध

24-7-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2565—पीबीआर / 14 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—07—15	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी व श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता कु0 विजया यादव उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 13—12—13 की सत्यप्रतिलिपि को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित करते हुये अनावेदकगण की भूमि पर जाने हेतु प्रश्नाधीन रास्ते से रूकावट हटाये जाने के निर्देश आवेदक को दिये हैं जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार द्वारा अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया है और अभी अंतिम निराकरण किया जाना है । आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष पक्ष—समर्थन व प्रश्नाधीन रास्ता नहीं होने के तथ्य को प्रमाणित करने का अवसर उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	